

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(श्री घनश्याम जोशी तहसीलदार बयाना)

प्र०स० ता० रजु: किस्म मुकदमा* निर्णय दिनांक
13/19 3-6-19 9) LR Act 12-6-19

सरकार बनाम श्री पवन पुत्र श्री करन जाति धाकड
13/19 निवासी दहगावा तह० बयाना

अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट

निर्णय


पत्रावली पेश हुई । पटवारी हल्का दहगावा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम दहगावा के खसरा नं. 187 रकवा 0.79 में से रकवा 0.08 किस्म भूमि धारा पर सम्वत 2076 में श्री पवन पुत्र करन जाति धाकड नि० दहगावा तहसील बयाना ने अतिक्रमण कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलव किया गया। जो शामिल-मिसिल है। अप्रार्थी उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जावे। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिव्प्रचर्क / चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नं. 187 रकवा 0.08 वाके ग्राम दहगावा से बेदखल किया जाता है। लगान को 0.08 50 गुणा पैनल्टी राशि 4/- से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली कर खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध निर्माण ध्वस्त कर बेदखली बावत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम हो न्यायालय दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12-6-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना को वाग सामक
श. के. सं. 04 के पेज नं. 4
दिनांक 12.6.19 को बंध 2015
पैनल्टी रु. 4 फसल नीलामी
को जा चुको है।


तहसीलदार
बयाना

तहसीलदार राजेश मेहता
बयाना